पत्र संख्या–उ०नि०–01–16/2026........................./

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

प्रेषक,

एस०एम० परवेज़ आलम,
अपर सचिव–सह–निदेशक।

सेवा में,

सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सचिव, सभी आयोग,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी,
सभी प्रभारी पदाधिकारी (जिला उर्दू भाषा कोषांग),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,
सभी अंचलाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांकः–..............................

विषय :– उर्दू निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभागों/आयोगों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों को i-GOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर पूर्व की भांति प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निदेशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उर्दू निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभागों/आयोगों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों को i-GOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में उर्दू निदेशालय द्वारा निदेशित किया जाता रहा है।

विदित् हो कि सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को पूर्व से परिचारित 52 घंटे का प्रशिक्षण प्रति वर्ष i-GOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर प्राप्त करना है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि आपके कार्यालय में पदस्थापित उर्दू पदाधिकारियों/कर्मियों को i-GOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव–सह–निदेशक।

ज्ञाप संख्या :–उ०नि०–01–16/2026...1622.../ पटना, दिनांक–10.03.26

प्रतिलिपि :– सभी उर्दू पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि i-GOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर निदेशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव–सह–निदेशक।

D:\Ashtaque\Md Akbar Ali\Letter No-01-16-2026, d: 06.03.2026.docx